प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

दांडिक अपील क्र. 866/2000

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत अपील)

अपीलार्थीगण : 1. सुखीराम कर्ष, पिता मेहत्तर कर्ष, आयु लगभग 34 वर्ष
कारावास में 2. मनीराम साहू, पिता श्री हीरा राम साहू, आयु लगभग 29 वर्ष, व्यवसाय- कोटवारी

दोनों निवासी-ग्राम मटिया, थाना बिलाईगढ़, जिला रायपुर(म.प्र.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण : मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा जिला दंडाधिकारी रायपुर(म.प्र.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत अपील)

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भा०द०सं० की धारा 120 सहपठित धारा 307	अपीलार्थी क्र.2 को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम में 6 महीने के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास।
भा०द०सं० की धारा 307 के अंतर्गत	अपीलार्थी क्र.1 को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम में 6 महीने के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

(माननीय न्यायाधीश श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्र. 866/2000

अपीलार्थीगण : सुखीराम कर्ष और अन्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य

दिनांक 31.01.2011 को निर्णय की उद्घोषणा हेतु प्रकरण सूचीबद्ध किया जाये।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 866/2000

<u>अपीलार्थीगण</u> : सुखीराम कर्ष और अन्य

<u>विरुद्ध</u>

<u>प्रत्यर्थी</u> : मध्य प्रदेश राज्य

<u>दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत दांडिक अपील</u>

<u>निर्णय</u>

(31.01.2011)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, रायपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 436/1997 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 22.3.2000 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसमें अपीलार्थी क्रमांक 1 सुखीराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत और अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 मनीराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उनमें से प्रत्येक को सात वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डादिष्ट किया गया है, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम पर उन्हें छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि मंगतन दास (अभि.सा.-1) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ग्राम कोतवार के पद पर नियुक्ति के विवाद के कारण अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 मनीराम ने अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 सुखीराम की मदद की थी, जिसके लिए

शिकायतकर्ता भी एक इच्छुक उम्मीदवार था। यह आरोप है कि घटना के दिन जब पीड़ित अपने पुत्र मोती दास (अभि.सा.-2) के साथ गाँव के तालाब में नहा रहा था, अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 सुखीराम वहाँ आया और उस पर तलवार से हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी गर्दन और आसपास के हिस्से में विभिन्न चोटें आईं। पीड़ित का सबसे पहले उपचार नारायण सिंह (अभि.सा.-11) द्वारा किया गया, जिन्होंने 26.9.1997 को अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी -16ए दी। इसके बाद, पीड़ित को मेकाहारा अस्पताल, रायपुर भेज दिया गया और वह दिनांक 29.6.1997 से दिनांक 8.7.1997 तक अर्थात लगभग नौ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। प्रदर्श पी-7 बेड हेड टिकट है। जाँच पूरी होने के बाद पुलिस द्वारा दिनांक 6.9.1997 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 और 120-ख के तहत चालान पेश किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण के समर्थन में 19 साक्षियों का परीक्षण कराया है। अभियुक्तों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत भी दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया, स्वयं को निर्दोष होने तथा झूठा फसांये जाने का अभिवाक किया। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने अपने समर्थन में पांच साक्षियों यथा नत्थूलाल(ब.सा.-1), पीताम्बर(ब.सा.-2), मुकुटराम(ब.सा.-3), तिलकराम(ब.सा.-4) और बंशीलाल(ब.सा.-5) का परीक्षण कराया है।

4. पक्षकारों को सुनने के बाद विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट किया।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया।

6. अपीलार्थियों के अधिवक्ता का तर्क है कि अभिलेख पर अभियुक्तों/अपीलार्थीगण की संलिप्तता को दर्शाने हेतु इस आशय का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी क्रमांक द्वारा पीड़ित पर हमला किया गया था या अपीलार्थी क्रमांक 2 द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी क्र. 1 के साथ पीड़ित पर हमला करने का षडयंत्र किया गया था। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि पीड़ित की चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-16ए विधिक आवश्यकता के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है और इसी तरह संक्षिप्त रिपोर्ट दिनांक 11/9/1997 प्रदर्श पी-18 की जो थाना प्रभारी के पत्र दिनांक 21/8/1997 के आधार पर जारी की गई है, भी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रमाणित नहीं की गई है क्योंकि यह डॉ. एस. महिलांग द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिनकी भी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं की गई है। उन्होंने तर्क दिया है कि संक्षिप्त रिपोर्ट इस मामले में स्वीकार्य नहीं हो सकती है क्योंकि यह घटना की तारीख से लगभग तीन महीने बाद प्राप्त की गई है। अंत में यह तर्क दिया गया है कि पीड़ित को आईं चोटों को देखते हुए, अभियुक्तों/अपीलार्थियों के विरुद्ध सबसे अधिक कथित अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के दायरे में आएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि निर्विवाद रूप से पीड़ित को चार चोटें आई थीं और जब साक्षियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिवाक किया गया है कि यह अभियुक्त/अपीलार्थी क्र.1 सुखीराम है जिसने उक्त चोट कारित की थी, तो वह इस तथ्य का कोई लाभ नहीं उठा सकता है कि शुरू में चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रदर्श पी-16ए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। उन्होंने तर्क दिया है कि डॉ. नारायण सिंह (अभि.सा.-11), जिन्होंने शुरू में पीड़ित की जांच की थी, द्वारा प्रस्तुत क्वेरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-19ए यह स्पष्ट करती है कि पीड़ित को उसकी गर्दन पर लगी एक चोट गंभीर प्रकृति की थी और वह तलवार की मदद से कारित हो सकती थी और यदि उसे शीघ्र चिकित्सा उपचार नहीं दिया जाता तो यह सामान्य अनुक्रम में उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मंगतन दास (अभि.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि घटना की तारीख को सुबह लगभग 7 बजे वह अपने पुत्र मोती दास (अभि.सा.-2) के साथ स्नान करने के लिए तालाब पर गया था और जिस समय उसका पुत्र स्नान कर रहा था और वह अपने दांत साफ कर रहा था, उस समय आरोपी/अपीलार्थी सुखीराम ने उसके सिर पर तलवार से हमला किया। उसने कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी सुखीराम ने उसके सिर, कंधे और कलाई पर तलवार से वार किया था, जिसके परिणामस्वरूप बहुत खून बह गया था। इस साक्षी ने कथन किया है कि उसके द्वारा की जा रही कोटवार के पद पर नियुक्ति के संबंध में अपील के कारण, अभियुक्त/अपीलार्थी सुखीराम ने उसे

खत्म करने की मंशा से उस पर हमला किया था। इस साक्षी के अनुसार, घटना के बाद उसे भटगांव के अस्पताल भेज दिया गया और फिर उसे रायपुर भेज दिया गया, जहां उसका एक सप्ताह तक उपचार चला। उसके हाथ में प्लास्टर और टांके लगाए गए थे। इस साक्षी ने कथन किया है कि वह स्वयं और अभियुक्त/अपीलार्थी मणिराम दोनों ही कोटवार के पद का दावा कर रहे थे और उसी के लिए उसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा खारिज कर दी गई थी, जिसके विरुद्ध उसने आयुक्त के समक्ष अपील दाखिल की थी। हालांकि, उसने इस तथ्य से इनकार किया है कि आयुक्त ने भी उसकी अपील को खारिज कर दिया है। इस साक्षी ने इस तथ्य से इनकार किया है कि उसके और आरोपी/अपीलार्थी सुखीराम के बीच कोई हाथापाई हुई थी। उसने इस बात से भी इनकार किया है कि पचरीघाट के पत्थर के टुकड़ों पर गिरने के परिणामस्वरूप उसे चोटें आई थीं। उसने कथन किया है कि वह तबल के हमले के परिणामस्वरूप भी नहीं गिरा था, लेकिन वह सो गया था। उसने स्पष्ट किया है कि तलवार और तबल दो अलग-अलग चीजें हैं। कुछ स्थानों पर इस साक्षी ने हमले के हथियार को तबल और कुछ स्थानों पर तलवार के रूप में कहा है, परंतु इस तरह के मामूली विरोधाभासों की उपेक्षा की जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मोती दास (अभि.सा.-2)-पीड़ित के अवयस्क पुत्र ने अपने पिता के कथनों का समर्थन किया है। उसने कथन किया है कि जब वह तालाब में स्नान कर रहा था और उसके पिता उसके दाँत साफ कर रहे थे, तो आरोपी/अपीलार्थी सुखीराम अपने हाथ में

एक तबल लेकर आया और उससे उसके पिता पर दो बार हमला किया। इसके बाद इस साक्षी ने कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी सुखीराम के हाथ में तलवार थी। इस साक्षी ने कथन किया है कि इसके बाद अपने पिता को वहीं छोड़कर वह घर गया और अपनी बहन को यह बताते हुए घटना के बारे में जानकारी दी कि आरोपी/अपीलार्थी सुखीराम ने उसके पिता पर हमला किया था और फिर पीड़ित स्वयं ही घर आ गया। प्रतिपरीक्षा में भी इस साक्षी ने वही कथन किया है जो मुख्य परीक्षा में कही गई थी। सुख सागर (अभि.सा.-3) ने कथन किया है कि घटना के बाद पुलिस ने मौका नक्शा प्रदर्श पी-8 तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि सादी के साथ-साथ रक्तरंजित मिट्टी, पीड़ित की शर्ट और उसका डिस्चार्ज टिकट क्रमशः प्रदर्श पी-9, पी-11 और पी-4 के अनुसार जब्त किया गया था। देशराम (अभि.सा.-4) जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी-13 और पी-14 का साक्षी है, जिसके द्वारा आरोपी/अपीलार्थी सुखीराम की तलवार और कपड़े जब्त किए गए थे। श्रवण कुमार श्रीवास (अभि.सा.-5) वह साक्षी है जिसने पीड़ित को घायल अवस्था में देखा था। इस साक्षी ने भी आरोपी/अपीलार्थी सुखीराम को हाथ में तलवार पकड़े हुए देखा था। बुधराम देवांगन (अभि.सा.-8ए) वह पटवारी है जिसने मौका नक्शा प्रदर्श पी-6 तैयार किया था। विवेचना का हिस्सा रहे साक्षियों में प्रधान आरक्षक रवींद्र सिंह (अभि.सा.-7), मदन देवांगन (अभि.सा.-8)-आरक्षक और चंद्र प्रसाद तिवारी (अभि.सा.-9) प्रधान आरक्षक हैं। उप निरीक्षक अनिल शर्मा (अभि.सा.-10) अन्वेषण अधिकारी हैं जिन्होंने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। नारायण सिंह (अभि.सा.-11) वह चिकित्सक हैं जिन्होंने दिनांक 29.8.1997 को पहली बार पीड़ित की चिकित्सकीय जांच की थी और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-16-ए दी थी जिसमें पीड़ित के शरीर पर उसके द्वारा देखी गई चोटों का वर्णन किया गया था जो इस प्रकार हैंः

> "मंगतन दास को गर्दन में कंधे में (बायें) बायें कलाई में तथा सिर में धारदार हथियार से चोंट पहुंचा है। गर्दन की चोट सांघातिक है जिसके कारण प्राथमिक उपचार के बाद मेकाहारा रायपुर ले जाने की सलाह दी जाती है। समस्त चोटो का नतीजा भी मेकाहारा रायपुर से लेने की सलाह दी जाती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस साक्षी ने पीड़ित को लगी चोटों की प्रकृति का वर्णन नहीं किया था क्योंकि उसने उसे किसी अन्य अस्पताल में भेज दिया था। हालाँकि उन्होंने कथन किया है कि चोटें तेज धार वाले हथियार से कारित हुई थीं।

इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसका प्रारंभिक कथन न्यायालय में दिनांक 13/10/1998 को अभिलिखित किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 26/3/1999 को पक्षकारों द्वारा पुनः उसकी परीक्षा और प्रतिपरीक्षा की गई और वहां उसने कथन किया है कि दिनांक 30/8/1997 को पीड़ित को आईं चोटों की प्रकृति के बारे में एक रिपोर्ट प्रदर्श पी-19 द्वारा मांगी गई थी और फिर उसने प्रदर्श पी-19-ए के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कथन किया गया था कि पीड़ित को गर्दन पर लगी चोट गंभीर प्रकृति की थी और तलवार से कारित की गई हो सकती थी। उसने यह

भी कथन किया है कि यदि पीड़ित को तत्काल चिकित्सा उपचार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो उक्त चोट जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। प्रतिपरीक्षा में उसने कथन किया है कि चूंकि न तो अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार उसे दिखाया गया था और न ही पीड़ित को फिर से उसे भेजा किया गया था, इसलिए वह यह नहीं बता सके कि किस हथियार से चोट लगी थी। इस साक्षी के अनुसार, डिस्चार्ज का टिकट प्रदर्श पी-7 भी उसके सामने प्रस्तुत नहीं किया गया था। उसने कथन किया है कि जिस चिकित्सक ने पहले पीड़ित का उपचार किया था, वह पीड़ित को लगी चोटों की प्रकृति के बारे में उचित अभिमत देने के लिए सबसे सही व्यक्ति हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सियाराम चेलक (अभि.सा.-12) ने कथन किया है कि घटना की तारीख को उसने पीड़ित को खून से लथपथ देखा था। फोटोबाई (अभि.सा.-13) पीड़ित की पत्नी है और उसने कथन किया है कि उसे सूचित किया गया था कि उसके पति पर आरोपी/अपीलार्थी क्र.1 द्वारा हमला किया गया था। उसके अनुसार, बाद में पीड़िता ने भी उसे घटना के बारे में बताया था। डॉ. जेके शर्मा (अभि.सा.-14) ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 29/6/1997 को वह ईएनटी विभाग के प्रोफेसर थे और पीड़ित के घाव का उपचार उनके कनिष्ठों द्वारा किया गया था और पीड़ित को दिनांक 8/7/1997 को छुट्टी दे दी गई थी। उन्होंने कथन किया है कि प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-7 पीड़ित से संबंधित है परंतु उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। उन्होंने कथन किया

है कि प्रदर्श पी-18 पर डॉ. एस. महिलांग के हस्ताक्षर हैं, परंतु वह यह नहीं बता सके कि उस समय वह कहां पदस्थ थे।

बीरबल प्रसाद (अभि.सा.-15) वह साक्षी है जिसने पीड़ित को घायल अवस्था में देखा था। राम कुमार (अभि.सा.-16) ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उसने पीड़ित को चोट लगने के बाद मौके पर पड़ा देखा था और होश में आने के बाद उसने उसे बताया कि यह आरोपी/अपीलार्थी सुखीराम था जिसने उस पर हमला किया था। इस साक्षी के अनुसार, आरोपी/अपीलार्थी मणिराम मौके पर उपस्थित नहीं था । छेदुराम (अभि.सा.-17) के बेटे गणेश राम ने कथन किया है कि उसने पीड़ित को घायल अवस्था में देखा था, परंतु उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। दिलदार (अभि.सा.-18) के बेटे गणेशराम ने कथन किया है कि घटना की तारीख को उसने आरोपी/अपीलार्थी क्र.1 सुखीराम को तलवार से पीड़ित पर हमला करते देखा था। पीड़ित की बेटी श्रीमती पार्वती (अभि.सा.-19) ने कथन किया है कि घटना की तारीख को उसे उसके भाई ने सूचित किया था कि आरोपी/अपीलार्थी क्र. 1 ने उसके पिता पर तलवार से हमला किया था। इस साक्षी के अनुसार जब वह मौके पर गई तो उसने देखा कि उसकी गर्दन पर चोट लगी है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने आरोपी/अपीलार्थी क्र. 1 को हाथ में तलवार लिए उसके घर में प्रवेश करते देखा था। इस साक्षी के अनुसार, पीड़ित ने उसे बताया था कि आरोपी/अपीलार्थी सुखीराम ने उस पर हमला किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बचाव पक्ष के साक्षी नत्थूलाल(ब.सा.-1) ने कथन किया है कि दिनांक 29.6.1997 को आरोपी/अपीलार्थी मणिराम उसके पास आया था। पीतांबर (ब.सा.-2) ने कथन किया है कि दिनांक 29.6.1997 को वह अभियुक्त मणिराम के साथ भूमि की माप के संबंध में तेंदूभाटा गया था। मुकुटराम (ब.सा.-3) ने कथन किया है कि घटना की तारीख को उसने पीड़ित को आरोपी/अपीलार्थी सुखीराम के साथ दुर्व्यवहार करते देखा था। तिलकराम (ब.सा.-4) ने कथन किया है कि जब वह तालाब के पास था, तो उसने पीड़ित और आरोपी सुखीराम को एक-दूसरे के साथ झगड़ा करते देखा। बंशीलाल साहू (ब.सा.-5) ने कथन किया है कि घटना की तारीख को आरोपी मणिराम उसके पास आया था और फिर वह जमीन की माप के संबंध में पटवारी के पास गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की सूक्ष्मता से जांच करने के बाद, इस न्यायालय के अभिमत के अनुसार अभियोजन पक्ष के प्रकरण में कुछ तकनीकी त्रुटि प्रतीत होती है। पीड़ित का पहले नारायण सिंह (अभि.सा.-11) द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किया गया था, लेकिन उन्होंने पीड़ित को लगी चोटों का पूरा विवरण नहीं दिया है। दिनांक 26.3.1999 को पक्षकारों द्वारा जब इस साक्षी की पुनः परीक्षा और प्रतिपरीक्षा की गई, तो उसने कथन किया कि अपनी क्वेरी रिपोर्ट में उसने यह कहते हुए चोट की प्रकृति का वर्णन किया है कि पीड़ित की गर्दन पर लगी चोट गंभीर और प्राणघातक थी। इस साक्षी ने यह सब कथन डिस्चार्ज टिकट सहित दस्तावेजों को देखे बिना या यहाँ तक की रोगी को देखे बिना किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस

चिकित्सक ने एमएलसी किया था, वह पीड़ित को लगी चोटों के संबंध में बेहतर अभिमत दे सकता है। इसी तरह, डॉ. जे. के. शर्मा, जो ई. एन. टी. विभाग के प्रमुख थे, ने हालांकि विभाग की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 को प्रमाणित कर दिया है, जो विधि में स्वीकार्य है, लेकिन उन्होंने यह भी कथन किया है कि उन्होंने पीड़ित को लगी चोटों को नहीं देखा था और चोटों की प्रकृति का वर्णन उस चिकित्सक द्वारा किया जा सकता था, जिसने शुरू में उसकी जांच की थी। हालांकि, पीड़ित के चिकित्सा रिपोर्ट की पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती है और अन्य संबंधित साक्षियों के अलावा घटना के पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी के बयान पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि पीड़ित पर आरोपी/अपीलार्थी क्र.1 द्वारा तलवार से बेरहमी से हमला किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं थी। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों और चिकित्सा साक्ष्य के साथ चोटों की प्रकृति को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी/अपीलार्थी क्र.1 सुखीराम की मंशा पीड़ित को मारने की थी और इसलिए उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं जा सकता है। चूंकि अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे चोटों की प्रकृति को गंभीर साबित करने में सक्षम नहीं रहा है, इसलिए इस न्यायालय के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के तहत भी उसे दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। चोटों की प्रकृति की उपेक्षा करते हुए यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि आरोपी/अपीलार्थी क्र.1 ने पीड़ित को खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाई और इसलिए उसे अधिकतम भारतीय दण्ड संहिता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की धारा 324 के तहत दोषसिध्द किया जा सकता है। जहां तक अभियुक्त/अपीलार्थी मणिराम का संबंध है, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने पीड़ित पर हमला किया या ऐसा करने में अभियुक्त/अपीलार्थी सुखीराम के साथ कोई षड़यंत्र किया था।

10. तदनुसार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 307 के तहत आरोपी/अपीलार्थी क्र.1 सुखीराम की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है। तथापि, उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 324 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। चूँकि वह पहले ही दो वर्ष और चार महीने तक कारावास में रह चुका है और यह कि घटना वर्ष 1997 में हुई थी, अर्थात तब से लगभग 13 वर्ष बीत चुके हैं, अतः इस न्यायालय का यह सुविचारित अभिमत है कि उसे उस अवधि तक का दण्ड देना न्याय के हित में होगा जो वह पहले ही भुगत चुका है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चूंकि अपीलार्थी मणिराम के विरुद्ध मामले में उसकी संलिप्तता के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। वह जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किये जाते है।

सही/-
प्रीतिंकर दिवाकर
न्यायाधीश

===000===

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Ratna Sahu, Adv.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur